न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम. के. सिंह,

सदस्य.

.....

प्रकरण कमांक निग0 1350–तीन/02 विरूद्ध आदेश दिनांक 28–3–02 पारित द्वारा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना प्रकरण कमांक 31/2001–02/अपील.

.....

कृपाराम पुत्र श्री श्यामलाल ठाकुर,
निवासी ग्राम जयपुर उर्फ नयागांव
परगना व जिला मुरैना म.प्र. ----- आवेदक

विरूद्ध

केदार पुत्र छत्रपाल सिंह
निवासी ग्राम जयपुर उर्फ नयागांव
परगना व जिला मुरैना म.प्र. ----- अनावेदक

.....

श्री एस. के. अवस्थी, अधिवक्ता, आवेदक ।

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 2–9 –2015 को पारित)

.....

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक31/2001–02/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 28–3–02 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक केदारसिंह द्वारा कलेक्टर, मुरैना के समक्ष अपने स्वामित्व की भूमि के सीमांकन बावत आवेदन पेश किया। उकत आवेदन पत्र को कलेक्टर ने एस.एल.आर. को मार्क कर दिया । एस.एल.आर. ने ए.एस.

एल.आर. को निर्देश दिये कि वे 7 दिवस में सीमांकन कार्य पूर्ण प्रतिवेदन पेश करें । इस कार्यवाही से परिवेदित होकर आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में निवेदन पेश की जो उन्होंने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि कलेक्टर को सीमांकन आदेश देने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है । अपर आयुक्त ने आवेदक द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर कोई निर्णय नहीं दिया और ना ही संहिता की धारा 129 के प्रावधानों पर विचार किया । अनावेदक ने प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष आवेदन पेश नहीं किया है । प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य स्वत्व के संबंध में विचार दीवानी न्यायालय में विचाराधीन है । इस कारण सीमांकन का आदेश नहीं दिया जा सकता ।

4/ अनावेदक प्रकरण में एकपक्षीय है ।

5/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण सीमांकन का है । संहिता की धारा 129 के तहत हितबद्ध पक्षकार अपने भूमि का सीमांकन करा सकता है । अपर आयुक्त ने प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए तथा आवेदक की आपत्ति जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि खेतों में फसल खड़ी है इस कारण फसल कटने तक भूमि का सीमांकन रोका जाये, विचार कर राजस्व अधिकारियों को यह निर्देश दिए गए हैं कि नई फसल आने के पूर्व सीमांकन करा लिया जाये ताकि सीमांकन कार्य से किसी किसान को क्षति न हो । अपर आयुक्त के इस आदेश में कोई विधिक या सारवान त्रुटि नहीं है, जिस कारण उनके आदेश में हस्तक्षेप किया जाये ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है ।

(एम.के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर